महत्वपूर्ण
संख्या-98/2020/1701/26-3-2020

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई 2020

विषय: **कोरी अनुसूचित जाति के वे तथाकथित व्यक्ति जो अपने को हिन्दु जुलाहा कबीरपंथी बुनकर कोली जाति से सम्बोधित करते है ऐसे व्यक्तियों को नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-221/26-3-2019 दिनांक 05.02.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोरी अनुसूचित जाति के वे तथाकथित व्यक्ति जो अपने को हिन्दु जुलाहा, कबीरपंथी बुनकर, कोली जाति से सम्बोधित करते है, ऐसे व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये है।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त निर्देशों के बावजूद कोरी, अनुसूचित जाति के वे तथाकथित व्यक्ति जो अपने को हिन्दु जुलाहा, कबीरपंथी बुनकर, कोली जाति से सम्बोधित करते है को नियमानुसार अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है।

3- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 में उत्तर प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक-50 पर कोरी जाति सूचीबद्ध है। फिर भी ऐसे पात्र व्यक्तियों द्वारा कोरी अनुसूचित जाति का होने का शपथ पत्र देने के बावजूद उनके आवेदन पत्र कतिपय कारणोंवश निरस्त कर दिये जा रहे है, जो उचित नहीं है।

4- उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरी अनुसूचित जाति के वे तथाकथित व्यक्ति जो अपने को हिन्दु जुलाहा, कबीरपंथी बुनकर, कोली जाति से सम्बोधित करते है ऐसे पात्र व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में आवेदकों से उनके कोरी अनुसूचित जाति का होने का शपथ पत्र प्राप्त करते हुए अभिलेख का भली भांति परीक्षण /जांच पड़ताल/निरीक्षण कर नियमानुसार कोरी जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 05.02.2019 के अनुसार कोरी अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज सिंह
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0- 98/2020/1701 (1)/26-3-2020/तद्दिनांक

प्रतिलिपि- श्री प्रमोद कुमार कोरी, अध्यक्ष, कोरी जन चेतना सभा, शामली कार्यालय-85डी, वार्ड नं0-16, दयानन्द नगर, शामली को उनके पत्र दिनांक 17.06.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।